न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः–128/2020 (2020/00294) प्रार्थना पत्र

अनवान

1–गंगासिंह पिता शिवकरण सिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1–शंकर पिता मांगु कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2–जयराम पिता कजोड़ कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3–मांगु पिता कजोड़ कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4–लेहरू पिता कजोड़ कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5–रामचन्द्र मुतबन्ना कालु कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6–माधवलाल पिता जयराम कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7–लैण्ड होल्डर साहब जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित

1. जाकिर हुसैन – प्रार्थी अधिवक्ता
2. फारूख मोहम्मद – विपक्षी स.1 अधिवक्ता
3. हरिश टेलर – विपक्षी स. 2 से 6 अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक–10.03.2021

पत्रावली में वर्णित प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 लगायत 6 के खातेदारी अधिकारो एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजियात ग्राम झड़ोल पटवार हल्का झड़ोल तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में खाता संख्या 214 में अकिंत आराजी संख्या 2265 रकबा 0.27 है0 भूमि अन्य आरायिजात के साथ स्थित है। प्रमाण नकल जमाबन्दी एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 में अकिंत प्रार्थी के हिस्से की कृषि आराजियात में आवागमन का एकमात्र रास्ता सड़क से विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 2266 से होकर बीस फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी की आराजी संख्या 2265 में जाता है, वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 2266 के नवीन नम्बर 3330/2266 है परन्तु उक्त नम्बर का नक्शे में तरमीम नही है। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 से 6 की आराजी संख्या 2265 में अपने अपने हिस्से में वर्षो से इसी रास्ते से आवागमन कर अपने खेतो में फसल काश्त कर फसल लाभ ले रहे है तथा इसी रास्ते से संज, बैल, बैलगाड़ी ट्रेक्टर आदि लेकर जाते है। उक्त कृषि आराजियात में आवागमन का उक्त रास्ता अत्यन्त आवश्यकता का रास्ता है। प्रार्थी के विद्यमान कदमी रास्ते को राजस्व नक्शे में सुविधा की दृष्टि से गुलाबी स्याही से दर्शाया गया है। प्रार्थी व विपक्षी संख्या 2 से 6 की उक्त [illegible] राजियात में आवागमन का रास्ता मौके पर खुला हुआ है। परन्तु विपक्षी [illegible] संख्या 3330/2266 पर अन्य लोगो को प्लॉट विक्रय कर रहा है तथा रास्ते की भूमि [illegible] निर्माण करने पर आमादा है तथा को उक्त रास्ते से आवागमन करने पर [illegible] धमकी दे रहे है। विपक्षी संख्या 1 व 2 से 6 एक ही जाति के होने से उनको आवागमन करने से नही रोकता है। प्रार्थी अपने खेत में इसी रास्ते से आवगमन रहा है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के उक्त रास्ते को स्थाई रूप से राजस्व रेकार्ड में बिलानाम दर्ज करवाना न्यायोचित हो गया है। अतः एवं श्रीमान

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.24 18:17:36 IST
Reason: SelfAttested

से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के हिस्से की आराजी संख्या 2265 में आवागमन का रास्ता विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 3330/2266 से 20 फीट चौड़ाई में बिलानाम सरकार गै.मु. रास्ता दर्ज कराने का आदेश तहसीलदार साहब रायपुर को प्रदान किया जाकर रास्ते के रूप में काम में आने वाली भूमि की डी.एल.सी दर से राशि विपक्षी संख्या 1 को दिलाने का आदेश प्रदान फरमाया जाए।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण दिनांक 08.10.2020 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 द्वारा अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 5 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एकतरफा कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया तथा विपक्षी संख्या 2 से 4 व 6 की ओर से जवाब व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली किया गया एवं विपक्षी संख्या 7 फौरमल पक्षकार है।

विपक्षी संख्या 2 से 4 व 6 द्वारा अपने जवाब में अकंन किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 1 स्वीकार है। विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 2266 के पूर्वी हिस्सा की भूमि मे से बहुत सारी भूमि सड़क में किनारे पर चली गई व शेष समस्त भूमि पर पीढ़ीयो से विपक्षीगण काबिज है तथा इसी भूमि मे जो आराजी संख्या 2266 का पूर्वी हिस्सा में सभी के रास्ते बाड़े में जाने के लिये स्थित है तथा इसी रास्ते से होकर विपक्षीगण आराजी संख्या 2265 में निहित हिस्से में आवागमन करते है। इस रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। हमारी आराजी संख्या 2265 में आवागमन हेतु 2266 की पूर्वी हिस्से की भूमि जो आराजी संख्या 2265 के सामने स्थित है सम्पूर्ण भाग को किस्म रास्ता दर्ज कराया जाना नितान्त आवश्यक है इस हेतु काउन्टर क्लेम पेश कर रहे है। अतः श्रीमान से सादर प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र के साथ विपक्षीगण का काउन्टर क्लेम स्वीकार फरमाया जाकर आराजी संख्या 2265 के आगे व रोड़ के मध्य स्थित आराजी संख्या 2266 का पूर्वी हिस्सा जो रास्तो के रूप में काम आ रहा है को किस्म रास्ता दर्ज कराया जावे इस हेतु मुआवजा राशि अदा करने को विपक्षीगण तैयार है।

प्रकरण में तहसीलदार रायपुर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका में अंकन किया कि ग्राम झड़ौल की आराजी संख्या 2265 रकबा 0.27 है0 सहखातेदारी भूमि है उक्त भू–भाग पर प्रार्थी खातेदार गंगासिंह पिता शिवकरण सिंह बड़वा का कब्जा है शेष भाग पर अन्य सहखातेदारान का कब्जा है। उक्त आराजी संख्या 2265 रकबा 0.27 है0 पर वर्तमान में आवागमन का कोई रास्ता बना हुआ नही है। उक्त नम्बर 2265 में राजस्व नक्शे में लाल स्याही से आच्छादित भाग पर प्रार्थी खातेदार का कब्जा है। वर्तमान में कोई रास्ता नही होने से प्रार्थी जिस रास्ते को चाहता है उस रास्ते को लाल स्याही से आराजी संख्या 3329/2266 में दर्शाया गया है। प्रार्थी आराजी संख्या 3330/2266 रकबा 0.7368 है0 में रास्ता चाहता है मौके पर प्रार्थी द्वारा करीब 150 वर्गमीटर रास्ता चाहा गया है। मौके पर जो वैकल्पिक रास्ता है उसे हरी स्याही से दर्शाया गया है जो आराजी संख्या 3330/2266 में होकर आराजी संख्या 2265 में जाता [illegible]वागमन से विपक्षी शंकरलाल पिता मांगु कुम्हार भी सहमत है इस वैकल्पिक रास्त[illegible] 150 वर्गमीटर बनता है जिसकी डीएलसी दर 168569 रू. प्रति बीघा [illegible] बनती है जिसकी दुगुनी राशि 23402 रूपये विपक्षी को भुगतान किय[illegible]

तहसीलदार रायपुर से [illegible] अवलोकन उभयपक्ष अधिवक्ता को कराया गया जिस पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा हरी स्याही से प्रदर्शित/प्रस्तावित रास्ते पर सहमति व्यक्त करते हुए इसी अनुसार रास्ते का आदेश किया जाने का निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.24 18:17:36 IST
Reason: SelfAttested

मैंने पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट तथा उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी आराजी में आवागमन हेतु मौके पर कोई राजकीय रास्ता दर्ज नही है और एकमात्र विपक्षीगण की खातेदारी भूमि में से होकर आवागमन का ही एकमात्र विकल्प है तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का अवलोकन उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा किया गया मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शे में प्रार्थी द्वारा चाहे गये रास्ते को लाल स्याही से एवं दोनो पक्षो की सहमति से प्रस्तावित रास्ते को हरी स्याही से प्रदर्शित किया गया है जिसमें हरी स्याही से प्रस्तावित रास्ते पर उभयपक्ष अधिवकताओं द्वारा सहमति व्यक्त करते हुए इसी अनुसार रास्ता दिया जाने का निवेदन किया गया। उपरोक्त विवरण के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्र्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झड़ौल तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की सहखातेदारी आराजी सख्या 2265 में आवागमन हेतु विपक्षी खातेदार की आराजी नम्बर 3330 / 2266 रकबा 0.7368 है0 में से (जो सरकारी रास्ते से आराजी संख्या 3330 / 2266 में प्रवेश कर आराजी संख्या 3329 / 2266 के पूर्वी और उत्तरी मेड़ के सहारे–सहारे होता हुआ प्रार्थी अपनी संयुक्त खातेदारी आराजी तक रास्ते का रकबा) 150 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 168569 रू. प्रति बीघा होने से कीमत 11701 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी 23402 रूपये मुआवजा राशि बनती है उक्त राशि का प्रार्थी द्वारा विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे। पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को हुक्मनामा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.03.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

10.3.2021

(सुन्दर लाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.24 18:17:36 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रायपुर, जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः—सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः—128/2020 (2020/00294) प्रार्थना पत्र

अनवान

1—गंगासिंह पिता शिवकरण सिंह बड़वा निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

प्रार्थी

बनाम

1—शंकर पिता मांगु कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2—जयराम पिता कजोड़ कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
3—मांगु पिता कजोड़ कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
4—लेहरू पिता कजोड़ कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
5—रामचन्द्र मुतबन्ना कालु कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
6—माधवलाल पिता जयराम कुम्हार निवासी झड़ौल तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
7—लैण्ड होल्डर साहब जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर0टी0एक्ट

प्रेषित :—तहसीलदार रायपुर हुक्मनामा रास्ता दर्ज कराने बाबत्

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 251ए स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम झड़ौल तहसील रायपुर में स्थित प्रार्थी की सहखातेदारी आराजी सख्ंया 2265 में आवागमन हेतु विपक्षी खातेदार की आराजी नम्बर 3330/2266 रकबा 0.7368 है0 में से (जो सरकारी रास्ते से आराजी संख्या 3330/2266 में प्रवेश कर आराजी संख्या 3329/2266 के पूर्वी और उत्तरी मेड़ के सहारे—सहारे होता हुआ प्रार्थी अपनी संयुक्त खातेदारी आराजी तक रास्ते का रकबा) 150 वर्गमीटर भूमि जिसकी डीएलसी दर 168569 रू. प्रति बीघा होने से कीमत 11701 रूपये बनती है जिसकी दुगुनी 23402 रूपये मुआवजा राशि बनती है उक्त राशि का प्रार्थी द्वारा विपक्षी खातेदारान को भुगतान करने पर उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि को बिलानाम गै.मु रास्ता दर्ज किया जावे।

हुक्मनामा आज दिनांक 10.03.2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मोहर से जारी किया गया।

10.3.2021
(सुन्दरलाल बम्बोडा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर, जिला भीलवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2021.03.24 18:17:36 IST
Reason: SelfAttested